संख्या– /XX–4/2019–4(38)/2018

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
मानव अधिकार आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29–03–2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2019" पारित होने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 2055–पुलिस–001–निदेशन और प्रशासन–09–राज्य मानवाधिकार आयोग के मानक मद संख्या 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 3,00,00,000/– (रू0 तीन करोड़ मात्र) वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 29–03–2019 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 2055–पुलिस–001–निदेशन और प्रशासन–09–राज्य मानवाधिकार आयोग के मानक मद संख्या 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायतके नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधायित अधिकारों के क्रम में एवं संलग्न अलॉटमेण्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

5– उक्त प्रस्तर–4 पर संदर्भित वित्त अनुभाग–01 के शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या– 58 /XX–4/2019–4(38)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–5
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव